


राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक: एनआरएचएम/विधि (243)/ओआईसी/14/353 दिनांक :- 15-10-14

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एनआरएचएम/विधि (243)/ओआईसी/14/153 दिनांक 12.09.2014 द्वारा एस0बी0सि0रिट याचिका संख्या 5866/2014 श्री राज कुमार व अन्य (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/जीएनएम एवं अन्य पद से संबंधित) बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में केस प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एनआरएचएम/विधि (243)/ओआईसी/14/353 दिनांक:- 15.10.14  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय।
2. उप शासन सचिव, एनआरएचएम, मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय।
4. अति० निदेशक (ग्रा०स्वा०), मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
6. पूर्व केस प्रभारी अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
7. नव नियुक्त केस प्रभारी अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), नागौर।
8. श्री अनिल कुमार बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसल, (चिकित्सा) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जबरेश्वर महादेव मन्दिर के सामने करतारपुरा, जोधपुर -342001, मो० 9413130081
9. प्रभारी सर्वर रूम को मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं ई-मेल करने बाबत।
10. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।